न्यायालय- सिविल जज(सी० डि०) / ए०सी०जे०एम०, गरौठा ,जनपद- झाँसी ।

जमानत प्रार्थना पत्र सं०- 294/ 2026

सरकार बनाम हरप्रसाद आदि ।

अपराध सं०- 244/ 2024

धारा- 115(2) ,324(4) ,333,352,

351(3) ,191(2) बी०एन०एस० ।

थाना- गरौठा ,जनपद- झाँसी ।

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र निस्तारण

दिनांक- 03. 06. 2026

1. आज दिनांक - 03. 06. 2026 को अभियुक्तगण **हरप्रसाद** एवं **शिवदीन** द्वारा न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया ।

2. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया कि अभियुक्तगण ने कोई अपराध नहीं किया है। अभियुक्तगण को रंजिशन झूंठा फंसाया गया है। अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा की कोई घर के अंदर घुसकर मारपीट नहीं की है और न ही किसी प्रकार का कोई नुकसान किया है और न ही गालियां दी हैं और न जान से मारने की दमकी दी है और न किसी प्रकार का कोई बल्वा आदि किया गया है। वादी द्वारा जो एफ०आई०आर० दर्ज करायी है वह सोची समझी योजना के तहत लिखाई गई है क्योंकि घटना दिनांक- 01. 12. 2024 की है और रिपोर्ट दिनांक- 04. 12. 2024 की लिखी है इसलिए दो दिन बाद रिपोर्ट लिखाई गई देरी का रिपोर्ट में कोई हवाला नहीं दिया है। अभियुक्तगणों द्वारा मारपीट कर कोई चोटें नहीं पहुंचाई हैं यदि अभियुक्तगणों द्वारा वादी की मारपीट की गई होती तो उसकी डॉक्टरी होती कोई डॉक्टरी रिपोर्ट पत्रावली में नहीं है इससे सिद्ध है कि वादी द्वारा अभियुक्तगणों के खिलाफ झूठा मुकदमा किया गया है। थाना गरौठा द्वारा अभियुक्तगणों को 35(3) बी०एन०एस०एस० का नोटिस भरा गया है जिसका अभियुक्तगणों द्वारा पालन किया गया है। अभियुक्तगण न्यायालय श्रीमान् के आदेशानुसार अपने- अपने माकूल जमानत मुचलका दाखिल करने को तैयार हैं। अतः अभियुक्तगण को दौरान मुकदमा उचित जमानत मुचलका पर रिहा करने की याचना की गई है ।

3. अभियुक्तगण के नियमित जमानत प्रार्थना पत्र पर अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया व अवलोकन किया गया ।

4. अभियुक्तगण द्वारा अभियोजन कथानक का खण्डन करते हुये प्रश्नगत प्रकरण में वादी मुकदमा द्वारा शत्रुतावश गलत ढंग से आलिप्त किया जाना कहा गया है। विदित होता है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रस्तुत मामले में उक्त अपराध की धाराओं के अन्तर्गत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। प्रार्थीगण/ अभियुक्तगण द्वारा न्यायालय के समक्ष

Digitally signed by MAYANK PRAKASH
Date: 2026.06.03 12:52:07 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

स्वेच्छा से आत्मसमर्पण कर जमानत हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्तगण थाने से जमानत पर हैं। विदित होता है कि अभियुक्तगण ने विवेचना में पूर्ण सहयोग किया है। अभियोजन द्वारा कोई भी पर्याप्त व संतोषप्रद कारण नहीं दर्शाया जा सका है, जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि जमानत पर मुक्त होने की दशा में अभियुक्तगण अभियोजन साक्षीगण अथवा साक्ष्य के साथ किसी प्रकार की टैम्परिंग करेंगे अथवा उपरोक्त प्रकृति के अपराध पुनः कारित करेंगे अथवा विचारण के दौरान न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं रहेंगे अथवा न्यायालय की आधिकारिता से परे पलायित कर जावेंगे। अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध 7 वर्ष से कम के कारावास से दण्डनीय है। अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परिक्षणीय है।

5. मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णित विधि व्यवस्था **स्पेशल लीव टू अपील (Crl) No. (S) 5191/2021 सतेन्द्र कुमार एन्टिल बनाम सी०बी०आई० व अन्य तथा बच्ची देवी बनाम उ०प्र० राज्य Supreme (All) 2992** में दिये गये दिशा निर्देशों एवं मामले के गुण दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों व अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण **हरप्रसाद** एवं **शिवदीन** को जमानत पर छोड़े जाने के पर्याप्त आधार हैं।

6. अभियुक्तगण प्रत्येक द्वारा अंकन 20,000/- रू० का एक बंधपत्र व इसी धनराशि की एक प्रतिभू व अण्डरटेकिंग दाखिल करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाता है:-

a- अभियुक्तगण नियत तिथियों पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित आते रहेंगे।

b- अभियुक्तगण प्रश्नगत अपराध की प्रकृति का अन्य अपराध कारित नहीं करेंगे।

c- अभियुक्तगण अभियोजन साक्षियों व साक्ष्य के साथ किसी प्रकार की टैम्परिंग/ छेड़छाड़ आदि नहीं करेंगे।

(मयंक प्रकाश)
सिविल जज (सी०डि०)/ए०सी०जे०एम०,
गरौठा, जनपद- झाँसी।
J. O. Code- UP2293